देवेन्द्र सिंह चौहान
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या- 14 /2022

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जून 01, 2022

विषयः पुलिस अभिरक्षा में होने वाली मारपीट, मृत्यु, छेड़खानी, शीलभंग, बलात्कार एवं अन्य अवैधानिक कृत्यों की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि, यथा-पुलिस अभिरक्षा मे मारपीट, मृत्यु, छेड़खानी, शीलभंग, बलात्कार इत्यादि नियमों व मानकों का अतिक्रमण तथा मनमाने कृत्यों आदि का मीडिया/सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों में काफी तेज गति से प्रचार- प्रसार होता है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की किसी भी घटना/गतिविधि से जहाँ एक ओर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों के मन में पुलिस की छवि भी धूमिल होती है।

डीजी-परिपत्र संख्या-07/1997	दिनांक 29.03.1997
डीजी-परिपत्र संख्या-15/1997	दिनांक 26.09.1997
डीजी-परिपत्र संख्या-01/2006	दिनांक 04.01.2006
डीजी-परिपत्र संख्या-40/2009	दिनांक 13.08.2009
डीजी-परिपत्र संख्या-79/2013	दिनांक 13.12.2013
डीजी-परिपत्र संख्या-13/2013	दिनांक 17.04.2013
डीजी-परिपत्र संख्या-68/2015	दिनांक 07.10.2015
डीजी-परिपत्र संख्या-10/2018	दिनांक 17.03.2018
डीजी-परिपत्र संख्या-50/2018	दिनांक 13.09.2018
डीजी-परिपत्र संख्या-28/2020	दिनांक 26.08.2020
डीजी-परिपत्र संख्या-25/2021	दिनांक 31.07.2021
डीजी-परिपत्र संख्या-39/2021	दिनांक 06.10.2021

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, मारपीट, छेड़खानी, शीलभंग, बलात्कार जैसी घटनाएं न केवल अमानवीय, जघन्य व क्रूर अपराध की श्रेणी में आती हैं वरन् ये सामाजिक स्थिति तथा कानून- व्यवस्था को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाओं से अनेक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी प्रायः जघन्य व संगीन अपराध के दोषी बनते हैं तथा उन्हें वैधानिक व विभागीय कार्यवाही का सामना भी करना पड़ता है।

पुलिस अभिरक्षा में किसी भी अवैधानिक गतिविधि व आपराधिक कृत्य को रोकने हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश इस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं किन्तु जनपद स्तर पर इनका कड़ाई से अनुपालन न किये जाने के दृष्टांत भी प्रकाश मे यदा-कदा आते रहते हैं।

इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः-

1- <u>थाना प्रभारी, विवेचक एवं थाने के अन्य कर्मचारियों के दायित्व एवं कर्तव्यः-</u>

- थाने के थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी की जानकारी के बिना थाने अथवा पुलिस चौकी मे किसी व्यक्ति को न तो लाया जाय और न ही बैठाया जाय। यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकतावश लाया जाय तो इसका समुचित अभिलेखीकरण भी तत्समय ही किया जाय।
- अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं हवालात में दाखिल करते समय मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के.बसु बनाम स्टेट आफ बंगाल में पारित निर्णय में दिये आदेश का अक्षरशः पालन किया जाय। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- हवालात में निरूद्ध अभियुक्त से मिलने आने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की समुचित निगरानी की जाय, मिलने वाले व्यक्ति खतरनाक वस्तु, डोरी, तार, गमछा, ज्वलनशील पदार्थ, नशीला पदार्थ व विषैला पदार्थ अभियुक्त को न प्रदान कर दे, इस हेतु भी पूर्ण सर्तकता रखी जानी आवश्यक है। थानों पर संतरी पहरा दिवस/रात्रि अधिकारी की इस सम्बन्ध में नियमित ब्रीफिंग की जाय। इस सम्चन्ध में पुलिस रेगुलेशन पैरा-62 जिसमें संतरी ड्यूटी के दायित्वों का विवरण अंकित है का अध्ययन करते हुए तदनुसार प्रबन्ध किया जाय।
- थानों पर अभियुक्त अथवा किसी से भी पूछताछ (INTERROGATION) का कार्य मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए अत्यन्त धैर्यपूर्वक किया जाय। जल्दबाजी व उतावलेपन से मारपीट का सहारा लेकर किसी भी दशा मे पूछताछ न किया जाय। पूछताछ जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में हो तथा थाने के अन्दर किसी भी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा पूछताछ का कार्य न किया जाय। पूछताछ आख्या तैयार की जाय। प्रत्येक पूछताछ थाना प्रभारी द्वारा स्वंय अथवा नामित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा की जाय। इस संबंध में समस्त कर्मचारियों की नियमित ब्रीफिंग की जाय।
- थाने पर यदि कोई घायल/गंभीर बीमार व्यक्ति आता है तो उसे हवालात में न रखा जाय तथा अस्पताल में ले जाकर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करायी जाय।
- महिलाओं के साथ घटित अपराधों में पीड़िता व उनके परिजन के साथ अत्यन्त संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में थाने के समस्त कर्मियों को संवेदनशील व्यवहार हेतु जागरूक किया जाय। पीड़िता के बयान अभिलेखन की कार्यवाही महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाय तथा उसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जाय। पीड़िता तथा महिलाओं को नोटिस आदि देकर थाने पर न

बुलाया जाय। यदि आवश्यक हो तो उसके निवास पर पूछताछ किया जाय। पीड़िता/महिला को सूर्यास्त से सूर्योदय तक की अवधि में थाने पर बुलाने से प्रत्येक स्थिति से बचा जाय।

- बालकों/बालिकाओं के विरूद्ध अपराध व उनके संरक्षण के सम्बन्ध में जे0जे0 ऐक्ट तथा पाक्सो ऐक्ट-2012 के प्राविधानों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल-कल्याण पुलिस अधिकारी के दायित्वों के सम्बन्ध में समुचित ब्रीफिंग की जाय।
- स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का यह दायित्व होगा कि पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाय। पीड़िता के बयान उसके निवास स्थान या ऐसे स्थान पर जहाँ वह अपने को सहज महसूस करें और उसके माता, पिता, संरक्षक या ऐसे व्यक्ति जिन पर वह विश्वास करती है अथवा उनसे समर्थित होती है, की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में पीड़ित बालक/बालिका को थाने में नहीं बुलाया जायेगा और न ही उसकी पहचान पब्लिक मीडिया में प्रकट की जायेंगी, जब तक कि बालक/बालिका के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा न निर्देशित किया गया हो।

2- <u>क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक के दायित्व एवं कर्तव्यः-</u>

- समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पुरूष/महिला अवैधानिक रूप से हिरासत में न हो। अधिकारियों द्वारा थानों व चौकियों के अपने प्रत्येक निरीक्षण आख्या में इसे अनिवार्यतः अंकित किया जाय।
- थानों के हवालात, शौचालय का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि वह स्वच्छ व प्रकाशयुक्त हो तथा किसी भी प्रकार दुर्घटना कारित होने की संभावना न हो। वहाँ किसी दशा में कोई दुर्घटना कारित न होने पाये। अभियुक्त को हवालात में बन्द करने से पूर्व उसकी समुचित जामा तलाशी ली जाय तथा बन्द होने के पश्चात उसकी सतत निगरानी सुनिश्चत की जाय।
- धारा-363/366 भा0द0वि0 के मुकदमों तथा गुमशुदगी में बरामद बालिकाओं व महिलाओं को किसी भी दशा में अनावश्यक रूप से थाने पर न रोका जाय। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तत्परतापूर्वक चिकित्सीय परीक्षण एवं मा0 न्यायालय में धारा-164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान कराया जाय तथा महिला संरक्षण गृह आदि में ही ठहराया जाय। बरामद अपहृताओं के प्रकरण का

पर्यवेक्षण पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा स्वयं किया जाय। इस तरह के प्रकरण में पुलिस, चिकित्सा विभाग तथा जिला प्रशासन के पारस्परिक समन्वय से तत्परतापूर्वक कार्यवाही करायी जाय।

- थाने पर आगन्तुक रजिस्टर एवं रोजनामचा आम (जी0डी0) में समय से प्रविष्टियां की जाय। थाने पर आने-जाने वाले व्यक्ति का जी0डी0 में तस्करा अंकित किया जाय। इनमे किसी प्रकार का हेर-फेर (Manipulation) न होने पाये। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा थानों एवं चौकियों के नियमित निरीक्षण मे इसे कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय। इसमे कोई त्रुटि आने पर संबंधित को दण्डित कराया जाय।
- पुलिस अभिरक्षा में कोई भी घटना यदि घटित हो जाती है तो उस परिस्थिति में समस्त साक्ष्यों को संरक्षित एवं सुरक्षित करते हुये तत्काल अभियोग पंजीकृत कर सूचना सर्वसंबंधित को प्रत्येक दशा में प्रेषित की जाय।

3- <u>जनपदीय पुलिस प्रभारी के दायित्व एवं कर्तव्यः-</u>

- जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा समस्त थानों एवं चौकियों पर जाकर हवालात, शौचालय एवं कार्यालय का गहन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वहाँ कोई खतरनाक वस्तु या स्थापत्य न हो। यदि इस प्रकार का कोई भी खतरनाक स्थापत्य या वस्तु मौजूद हो जिससे कोई घटना संभावित हो सके, उसे तत्काल हटवा कर ठीक करा लिया जाय।
- समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पुरूष/महिला अवैधानिक रूप से हिरासत में न हो। अधिकारियों द्वारा थानों व चौकियों के अपने प्रत्येक निरीक्षण आख्या में इसे अनिवार्यतः अंकित किया जाय। इस सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारियों को अपने क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरें थानों पर भेजकर डेकाय (Decoy) चेकिंग तथा आकस्मिक निरीक्षण कराया जाय। इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर समीक्षा एवं कार्यवाही की जाय।
- समस्त थानों में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की समीक्षा भी प्रत्येक माह पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाय।
- जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा समस्त थानों/चौकियों के समस्त पुलिस कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में समुचित ब्रीफ किया जाय जिससे कि कोई घटना घटित न हो सके।
- अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पुलिस कस्टडी में अभियुक्तों को रखने, हवालात का रखरखाव आदि विषयों पर समस्त जनपद पुलिस प्रभारियों द्वारा नियमित पुलिस बल के प्रशिक्षण हेतु वर्कशाप/प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाय। उक्त प्रशिक्षण सत्र में जनपद में उपलब्ध विधि विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त पुलिस

अधिकारियों व अनुभवी पुलिस अधिकारियों द्वारा व्याख्यान कराया जाय। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम रोस्टर बनाकर कई चरण में आयोजित कराये जायं जिससे कि समस्त पुलिस बल प्रशिक्षित हो सके।

- थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी के रूप में योग्यतम एवं दक्ष लोगों की ही नियुक्ति किया जाय। थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी की नियुक्ति के पूर्व उनके पूर्ववृत्त को ध्यान से अवश्य रखा जाय।
- पुलिस अभिरक्षा में घटित प्रत्येक घटना को **विशेष अपराध श्रेणी (SR CASE)** चिन्हित कर विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सीधे पर्यवेक्षण में तत्परता से करायी जाय।
- **पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु** के सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर सूचना राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार/शासन/मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मृतक का पंचनामा नियमानुसार मैजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न किया जाय एवं चिकित्सकों के पैनल द्वारा शव का परीक्षण करते हुए वीडियोग्राफी अवश्य करायी जाय तथा वीडियो सी0डी0 को अवलोकन हेतु मानवाधिकार आयोग को भी प्रेषित किया जाय।
- **पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु** की घटना के सम्बन्ध में द0प्र0सं0 की धारा 176 के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक मैजिस्ट्रेट से जाँच के आदेश निर्गत कराये जायें तथा जाँचों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला व सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया जाय।
- **पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु** के प्रकरणों में समयान्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, न्यायिक मैजिस्टीरियल जाँच रिपोर्ट आदि भेजा जाय तथा पुलिस अधिकारियों को पोस्टमार्टम के तत्काल बाद शीघ्रता से अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर बिसरा परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः एम-67(1/16-मा-1-09-38(विविध)2009, दिनांक 19-01-2010 एवं मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी-मा0-प्र0 (निर्देश)2010, दिनांक 09-02-2010 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- पुलिस अभिरक्षा में मारपीट, दुर्व्यवहार या अन्य घटना की शिकायत प्राप्त होने पर तत्परता से जाँच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।
- पुलिस अभिरक्षा में घटित घटना में संलिप्त/दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज अभियोग में विधिक कार्यवाही के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से विभागीय जाँच संपादित की जाय। विभागीय जाँच में उन परिस्थितियों की स्पष्ट रूप से तथ्यांकित किया जाय जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई है।
- **पुलिस रेगुलेशन के पैरा-1** द्वारा प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को पुलिस विभाग के अधीक्षण एवं नियंत्रण हेतु प्राप्त शक्तियों के अनुक्रम में आप सभी को उपरोक्त वर्णित प्रावधान के कड़ाई से पालन किये जाने हेतु एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है। श्रेयस्कर होगा

कि उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों तथा समय-समय पर मा. उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित निर्देशों का गम्भीरता से अध्ययन कर एवं समस्त जनपदों में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दिया जाय जिससे कि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरतें। उपरोक्त निर्देशों का उच्चाधिकारियों के गहन पर्यवेक्षण में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। निर्देशों का उल्लंघन करनें वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर दण्डित कराया जाय जिससे कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

भवदीय

Devendra
01/06/2022
(देवेन्द्र सिंह चौहान)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ.प्र. लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ.प्र. लखनऊ।.
3. अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ.प्र. लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ.प्र. लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।